सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारी, केकड़ीजिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1866/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रामदयाल पुत्र कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा,तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र कंवरलाल
2. भंवरलाल पुत्र कंवरलाल
3. बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह. सावर जिला अजमेर
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी सावर तह. सावर जिला अजमेर
5. रामलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुर तह. सावर
6. सुन्दर पत्नि गोकल जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह. सावर
7. रामकिशन पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह. सावर
8. बदाम पत्नि जगदीश जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह. सावर
9. श्रीमान तहसीलदार साहब तह.सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,92ए,209 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

निर्णय

दिनांकः–01.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार **केम्प चितिवास** में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत **धारा 53,188,92ए,209** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 479 के खसरा नम्बर 5157/5430 , 5159, 5160/5431, 5164/5422 क्रमशः रकबा 0.14, 0.28, 0.08, 0.15 कुल खसरा नम्बर किता 4 कुल रकबा 0.65 है. एवं खाता .स. 680 खसरा नम्बर 5084, 5084/5441 रकबा 1.94, 0.69 कुल रकबा 2.63 है. सहखातेदार में दर्ज है तथा ग्राम उदयसागर स्थित वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी स. 2070–73 कें खाता स. 16 के खसर नम्बर 333, 340 क्रमशः रकबा 0.52, 0.51 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है. दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम लक्ष्मीपुरा के खाता स. 21 खसरा नम्बर 95, 115, 116, 117, 139, 140, 141, 154, 154/613, 146, 146/612, 147, 148, 246, 634/140 कुल किता खसरा न. 15, कुल रकबा 3.42 है. दर्ज रिकॉर्ड संयुक्त खातेदारी है।

वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम सावर तह. सावर मे स्थित है। खाता स. 479–456 की आराजीयात में वादी एव प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का बराबर हिस्सा खातेदार, कब्जे काश्त , स्वामित्व एवं आधिपत्य में दर्ज हे। तथा खाता स. 480–455 मे वादी एंव प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 का संयुक्त 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है। तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स. 4 की खातेदारी दर्ज है।तथा इसी प्रकार संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त स्वामित्व में चली आरही है। ग्राम उदय सागर की आराजी खाता स. 16–14 में वर्णित उदयसागर की आराजी वर्णित वादी/प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 का संयुक्त हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी स. 5 का 1/2 हिस्सा है तथा वादी का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 1 लगायात 3 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है इसी प्रकार संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। ग्राम लक्ष्मीपुरा में वर्णित आराजीयात खाता स. 21–20 में वादी एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 का सयुंक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 6 व 7 का संयुक्त 1/3 हिस्सा , तथा प्रतिवादी स. 8 का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व में चली आ रही है। वादवर्णित आराजीयात में बंटवारा नही होने से हिस्से को लेकर आये दिन लडाई झगडा होते है। वाद वर्णित आराजीयात को सयुक्त काश्त हेतु वर्णित खाता स. 479–456 में वर्णित में वर्णित आराजीयात में वादी को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण स. 1,2,3 को प्रत्येक को 1/4 हिस्सा तथा खाता स. 480–455 में वर्णित आराजीयात में वादी को 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 4 को 1/2 हिस्सा तथा वादपत्र में वर्णित खाता स. 16–14 में वादी को 1/8 हिस्सा , प्रतिवादीगण स. 1,2,2 को 1/8 हिस्सा , तथा प्रतिवादी स. 5 को 1/2 हिस्सा तथा वादपत्र के

खाता स. 21–20 में वादी को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण स. 1,2,3 को प्रत्येक को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 6व 7 को सयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 8 को 1/3 हिस्सा अनुसार मौके पर नाप चौप कर बंटवारा करके संभलायी जावें । बंटवारा अनुसार कायम किया जावें एंव नक्शा ट्रेस में बंटवारा अनुसार अलग अलग कायम की जावे। प्रतिवादीगण स. 1लगायत 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वाद वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त ,उपयोग, उपभोग, में बाधा उत्पन्न न करें एवं जबरन बेदखल भी न करे साथ ही फसल को नष्ट भ्रष्ट न केरे उक्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को बेचान ,रहन,हस्तान्तरण इत्यादि न करें। वादी का वाद जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा विभाजन किये जाने के साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। वादी उप. । वादी/प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीस से 1 से 3 व 6 वे 8 की और से श्री मुकेश गुर्जर व अप्रार्थी स. 4व 5 की और से श्री मीठूसिह अधिवक्ता उपस्थित । अप्रार्थी स. 4,5 का जवाब पेश हुआ ।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुयी। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौका एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 479 के खसरा नम्बर 5157/5430 , 5159, 5160/5431, 5164/5422 क्रमशः रकबा 0.14, 0.28, 0.08, 0.15 कुल खसरा नम्बर किता 4 कुल रकबा 0.65 है. एवं खाता .स. 680 खसरा नम्बर 5084, 5084/5441 रकबा 1.94, 0.69 कुल रकबा 2.63 है. सहखातेदार में दर्ज है तथा ग्राम उदयसागर स्थित वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी स. 2070–73 कें खाता स. 16 के खसर नम्बर 333, 340 क्रमशः रकबा 0.52, 0.51 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है. दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम लक्ष्मीपुरा के खाता स. 21 खसरा नम्बर 95, 115, 116, 117, 139, 140, 141, 154, 154/613, 146, 146/612, 147, 148, 246, 634/140 कुल किता खसरा न. 15, कुल रकबा 3.42 है. भूमि का मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाताहै। तहसीलदार सावर को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीत का मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से एव मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मज मे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी